न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01 / 18 दायर दिनांक 10.01.2018

सीसीएमएस न 2018 / 00024

उनवान

1 तेजसिंह 2 तिमनसिंह पुत्रान कल्याण 3 टूटल 4 भीम 5 पतली 6 बिजेन्द्र पुत्रान मोहनलाल 7 महाराजी वेवा मोहनलाल जातियान गुर्जर नि. सुहारी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रार्थीगण

बनाम

1 लुड्डी पुत्र कुन्दन (मृतक) 1/1 बन्नो पुत्री लुड्डी पत्नि भग्गी जाति गुर्जर नि. सुहारी हाल नि. घाटोली तह रूपवास 1/2 बल्ली पुत्री लुड्डी पत्नि भोगी जाति गुर्जर नि. सुहारी हाल नि. घाटोली तह. रूपवास 1/3 सुनीता पुत्री लुड्डी पत्नि रमन जाति गुर्जर नि. सुहारी हाल नि. घाटोली तह. रूपवास 1/4 मीना पुत्री लुड्डी पत्नि केदार जाति गुर्जर नि. छीपी का नुगला तह. बयाना 1/5 बनयसिंह पुत्र लुड्डी जाति गुर्जर नि. सुहारी तह. भुसावर 2 सोहनलाल 3 हुकमसिंह पुत्रान कंचन जाति गुर्जर नि. सुहारी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––प्रार्थीगण
2 श्री हेमसिंह पाण्डेय ––अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29/04/2026

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हमने अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी के लिये संलग्न नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता में आते जाते है व रंग आसमानी से प्रदर्शित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 479/74 रकबा 01 बीघा व आराजी खसरा नंबर 680/74 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम सुहारी तह. भुसावर में स्थित है। जिसके आवागमन के लिये अप्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 480/75 में से लाल रंग से प्रदर्शित 121 फुट लंबाई व 12 फुट चौडाई का अर्थात 1452 वर्ग फुट क्षेत्रफल का रास्ता लेना चाहते है। चूँकि इस रास्ता की खातेदारी अन्य खातेदार अप्रार्थीगण के नाम है। जो आये दिन रास्ता निकास में व्यवधान व रूकावट पैदा करते रहते है और रास्ता का उपयोग नहीं करने देना चाहते है। इसलिय हमें 121 फुट लंबाई व 12 फुट चौडाई का मार्ग लेना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

अतः प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नंबर 480/75 वाके ग्राम सुहारी तह. भुसावर में होकर रा नंबर 479/74 व खसरा नंबर 680/74 वाके ग्राम सुहारी को जाने का रास्ता ानुसार दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक की नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री हेमसिंह पाण्डेय एड. द्वारा किया गया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्र से उक्त खसरा नंबरान के खसरा नंबरान के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। जिसके संबंध में वादी वकील द्वारा र्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वर्तमान में श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय, तपुर द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 480/75 का नवीन खसरा नंबर 96 रकबा 0.35 क्टे. बनाया गया है एवं प्रार्थीगण के खसरा नंबर 479/74 के नवीन दो खसरा नंबर 95 कबा 0.15 हैक्टे. व 652/95 रकबा 0.16 हैक्टे. बनाये गये है। जिसमें खसरा नंबर 652/95 ार्थीगण की खातेदारी की आराजी है।

अतः न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/25/738 दिनांक 03.09.2025 से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 96 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 652/95 हेतु प्रस्तावित रास्ता बाबत रिपोर्ट भिजवाने हेतु पुनः लिखा गया।

जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भाँति अध्ययन किया गया।

उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 96 में से 0.0304 हैक्टे. (76 मीटर लंबा व 04 मीटर चौड़ा) रास्ता प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 652/95 हेतु स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही की जावें।

उक्त आदेश केवल तभी निष्पादित किया जावेगा, जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों अनुसार दोगुनी क्षतिपूर्ति प्रतिकर [नियम 70 (प प) (1)] तथा आर.टी.ए. नियम (संशोधित) 2012 के नियम 70(2) के अन्तर्गत प्रस्तावित रास्ता निर्माण में संभावित वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो, का नियमानुसार प्रतिकर योग पश्चात कुल प्रतिकर दे दिया जावेगा अथवा तहसील कार्यालय, भुसावर में जमा करवा दिया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०